संख्या- 5/2020/20/1/91-का-2/2020

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उ0प्र0,कानपुर।
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांकः **25** जून, 2020

विषयः- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर)के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GEM) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/ 2019 दिनांकः 18.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 11/2017/523/18-2-2017-97(ल.उ.)/2016, दिनांक 23.08.2017 के क्रम में उ0प्र0 के शासकीय विभाग एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में केवल (GEM) पोर्टल के माध्यम से मैनपावर आउटसोर्स किये जाने के कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-7 व 8 में निम्न प्रावधान किया गया हैः-

"(7) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सेवायोजन विभागों द्वारा उपर्युक्त व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में संगत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

(8) वर्तमान में प्रचलित आउटसोर्सिंग के अनुबन्ध (Contract) इस नयी व्यवस्था के लागू होने से स्वतः समाप्त नहीं होंगे, बल्कि प्रश्नगत अनुबन्ध की वैधता अवधि अथवा 06 माह, जो भी कम हो, तक क्रियाशील रहेंगे।"

2- इस सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं सेवायोजन विभाग में कार्यवाही की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त

https://finance.up.gov.in

संदर्भित शासनादेश दिनांकः 18.12.2019 में उल्लिखित आउटसोर्सिंग के अनुबन्ध की वैधता अवधि 02 माह और बढा दी जाय। इस अवधि में उक्त शासनादेश में अपेक्षित कार्यवाही को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सेवायोजन विभाग प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लें।

3- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उपर्युक्त आदेश आउटसोर्स के संबंध में योजित रिट याचिका संख्या-31208/2019 (एम.बी.) मै.आर.एम.एस. टेक्नोसोल्यूशन बनाम अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित निर्णय के अधीन प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 5/2020/20(1)/1/91-का-2/2020, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

http://dhasanadesh.up.gov.in